

# अंचल अधिकारी का कार्यालय, तांतनगर।

## आदेश फलक

वाद संख्या :- 13/अ.स. 4/2023 24

नाम :- तस्वीर फुसी  
पिता :- श.क. बाबूरा फुसी  
मौजा :- अ.स. 12/1/1

| दिनांक     | आदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अभ्युक्ति |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3         |
| 16/08/2023 | <p>आज दिनांक 16/08/2023 को आवेदक <u>तस्वीर फुसी</u>, पिता- <u>श.क. बाबूरा फुसी</u>, ग्राम- <u>अ.स. 12/1/1</u> के द्वारा मौजा <u>अ.स. 12/1/1</u> थाना सं- <u>203</u> खाता सं- <u>41</u>, प्लॉट सं- <u>776</u> रकबा- <u>0.20 अ.स.</u> किस्म जमीन <u>खेतीयान</u> में विवाद के संबंध में <u>अ.स. 12/1/1</u> आवेदन किया गया है</p> <p>अतः उक्त के आलोक में ईलाका मानकी/ग्रामीण मुण्डा, अंचल अमीन, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग दिनांक <u>23/08/23</u> तक करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक- <u>23/08/23</u> को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"> <br/> अंचल अधिकारी<br/>तांतनगर। </p> |           |
| 23/08/23   | <p><u>अभिलेख उपस्थापित</u></p> <p>ग्रामीण मुण्डा, राजस्व उप निरीक्षक, अंचल अमीन और अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जाँच प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक- 18/08/2023 को ग्रामीण मुण्डा <u>अ.स. 12/1/1</u> फुसी से <u>अ.स. 12/1/1</u> स्थापित करने इस राजस्व निरीक्षक एवं अंचल अमीन</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |

के द्वारा अरुणजी पर भार खाना सं-पा। लॉडिंग  
नर 6 स्तर - 0.20 20 भूमि का पॉच की गई।  
इस अरुण लॉडिंग चिन्हितकरण चौहद्दीदार के  
उपरिवाति में किया जिसमें चौहद्दीदार के द्वारा कोई  
आपत्ति दर्ज नहीं की गई।

ग्रामीण मुख्य राजस्व उपनिरीक्षक और  
अंचल अमीन के पॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया  
गया अगली सुनवाई में दिनांक 23/08/23 को आवेदन  
एवं चौहद्दीदारों को सुनवाई हेतु उपस्थित होने की  
लिखित शर्तित किया गया।

अभिलेख दिनांक 23/08/23 को उपस्थापित  
करें।

23-08-23

अभिलेख उपस्थापित

दिनांक 23/08/23 को आवेदन एवं आवेदित  
लॉट के सभी चौहद्दीदार द्वारा किया गये पॉच  
प्रतिवेदन में अपनी संतुष्टि ज्ञाति किया गया।

अतः दोनों पक्ष के वर्यानों के अवलोकन  
के पश्चात दोनों पक्ष को शांति व्यवस्था बनाये  
रखने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थान की  
गई।

  
अंचल अधिकारी